न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम चन्द्रपाल आदि

मु0अ0सं0—624 / 2018
धारा—147,341 भा0दं0सं0
थाना—ठाकुरद्वारा

16.11.2018

अभियुक्त चन्द्रपाल सिंह की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0—624 / 2018 धारा—147,341 भा0दं0सं0 थाना—ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना, एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त चन्द्रपाल सिंह द्वारा बीस—बीस हजार रू0 के दो—दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।